स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 274, दिनाकः 11–09–2024

तिब्बती नागरिक द्वारा कूटरचित दस्तावेदजों के आधार पर (भारतीय नाम चन्द्रा ठाकुर) पासपोर्ट प्राप्त करके भारत में साईबर क्राईम करने वाला गिरफ्तार।

दिनांक 11–09–2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को तिब्बती नागरिक द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर (भारतीय नाम चन्द्रा ठाकुर) पासपोर्ट प्राप्त करके भारत में साईबर क्राईम करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

अभियुक्त छीन्जों थारचिंन उर्फ Chanjan @ Chandra Thakur @ Tanzin S/o Losang R/o Khaba Toukur Ganzi Tibet हाल पता 2 ई 4 फ्लोर, एलआईजी फ्लैट पैकेट– बी सेक्टर–3 द्वारिका दिल्ली।

बरामदगीः–

1– 02 अदद पासपोर्ट
2– 01 अदद कूटरचित वोटर आई0डी0 कार्ड
3– 01 अदद पैन कार्ड
4– 01 अदद आधार कार्ड
5– 02 अदद ए0टी0एम0 कार्ड
6– 01 अदद कम्बोडियाई सिम कार्ड (Metf-ne)
7– 02 अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तारी का दिनाक/स्थान/समयः–

दिनांक 11–09–2024 स्थानः एस0टी0एफ0 कार्यालय गौतमबुद्धनगर, समय 14.15 बजे

उल्लेखनीय है कि विगत कुछ दिनों से एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विदेशी नागरिकों द्वारा कूटरचित दस्तावेजों को तैयार करके भारतीय नागरिकता के दस्तावेज तैयार कर पासपोर्ट इत्यादि बनाने के सम्बन्ध में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। जिसके सम्बन्ध में श्री राजकुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 नोएडा यूनिट के निर्देशन एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ यूनिट गौतमबुद्धनगर के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री सचिन कुमार, एस0टी0एफ0 यूनिट नोएडा द्वारा टीम गठित कर उपरोक्त गिरोह के अपराधियों के सम्बन्ध में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

निरीक्षक श्री सचिन कुमार, एस0टी0एफ0 यूनिट गौतमबुद्धनगर की टीम द्वारा दिनांक 10–09–2024 को उपरोक्त संसूचनाओं को सत्यापित करने हेतु तथा कथित चन्द्रा ठाकुर पुत्र रमेश ठाकुर निवासी 2 ई 4 फ्लोर, एलआईजी फ्लैट पैकेट– बी सेक्टर–3 द्वारिका दिल्ली को पूछताछ हेतु एस0टी0एफ0 कार्यालय गौतमबुद्धनगर लाया गया, जहॉ पर इससे विस्तृत पूछताछ की गयी और सम्पूर्ण पूछताछ के उपरान्त साईबर फ्रॉड के लिए बैंक खाते विदेशी नागरिकों को उपलब्ध कराने के साक्ष्य प्राप्त होने पर एंव तथाकथित व्यक्ति चन्द्रा ठाकुर द्वारा तिब्बती नागरिक होने की पहचान को छिपाते हुए पश्चिमी बंगाल से कूटरचित दस्तावेज तैयार करके फर्जी पासपोर्ट बनाने के साक्ष्य उपलब्ध होने पर समयः लगभग 14.15 बजे उपरोक्त मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त छीन्जों थारचिंन उर्फ Chanjan @ Chandra Thakur @ Tanzin S/o Losang R/o Khaba Toukur Ganzi Tibet उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 37

साल है। जब वह 14 वर्ष का था तब वह भागकर लासा तिब्बत आ गया जहॉ से 50–60 लोगों के ग्रुप के साथ ढुकला नेपाल आया और लगभग 03 माह कांठमॉडू के रिफ्यूजी सेन्टर में रहा। वहॉ से दिल्ली के बुद्धविहार रिफ्यूजी सेन्टर आया। करीब एक माह बाद वीर बिलिंग हिमाचल प्रदेश के स्कूल में पढाई शुरू की और लगभग 03 वर्ष पढाई करने के बाद दिल्ली भाग आया था। उसके बाद धर्मशाला एवं दिल्ली के विभिन्न रेस्टोरेंन्टों आदि में चार वर्ष तक काम किया और फिर वर्ष 2008 में मजनू का टीला दिल्ली में आकर रहने लगा। धीरे–धीरे न्यूरोड काठमाण्डू नेपाल से चायनीज इलेक्ट्रानिक सामान एवं अन्य चीजों को वहॉ से लाकर चोरी छिपे दिल्ली के मार्केट में बेचने लगा। धीरे–धीरे इसको चायनीज भाषा का अच्छा ज्ञान हो गया। वर्ष 2010–11 में फेसबुक पर महिला से दोस्ती के चलते गंगटोक सिक्किम आ गया और एक होटल पर कुक का काम करने लगा। यहीं पर इसकी मुलाकात दार्जिलिंग में खाने का होटल चलाने वाले एक लड़के से हो गयी और फिर वह दार्जिलिंग आकर रहने लगा। दार्जिलिंग में रहते हुए फर्जी भारतीय नाम ''चन्द्रा ठाकुर'' के नाम से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि बनाकर चन्द्रा ठाकुर के नाम से वर्ष 2013 में भारतीय पासपोर्ट हासिल कर लिया। उसके बाद अभियुक्त छीन्जों थारचिंन ने चीन, मलेशिया, थाईलैण्ड, दुबई जैसे कई देशों की यात्राएं किया। वर्ष 2021 में नेपाल यात्रा के दौरान काठमाण्डू में ''ली'' नामक चायनीज से मुलाकात हुई थी और ली ने उसको नेट बैंकिंग सहित भारतीय बैंक के करंट एकाउन्ट को उपलब्ध कराने को कहा, जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के गैंमिग ऐप, लॉगिन ऐप, ट्रेडिट ऐप में किया जाना था। ली ने बसन्त कुॅज दिल्ली के फार्म हाउस में रह रहे अभियुक्त छीन्जों थारचिंन से संपर्क करवाया। जिसके बाद अभियुक्त छीन्जों थारचिंन ने अपने पूर्व परिचित जॉर्डन से अकाउन्ट की व्यवस्था करने को कहा। जॉर्डन के साथ भारतीय बैंक अकाउन्ट इन्हें उपलब्ध कराने लगा और उसके बदले कैश पैसा लेने लगा। अभियुक्त ने एक भारतीय बैंक एकाउन्ट, चायनीज को उपलब्ध कराया गया था। उस एकाउन्ट में लगभग साढे चार करोड रूपये का ट्रान्जेक्शन होने के बाद खाता धारक ने दिल्ली के जीटीवी एन्क्लेंव थाने पर मु0अ0सं0 410/21 धारा 420/406/120बी भादवि का अभियोग दिनांक 09–12–2021 को पंजीकृत कराया था। जिसमें अभियुक्त छीन्जों थारर्चिंन (तिब्बती) जेल गया था और लगभग 09 माह जेल में रहा था। जॉर्डन इस अभियोग में सह अभियुक्त है। जेल से छूटने के बाद अभियुक्त छीन्जों थारचिंन की मुलाकात द्वारिका के रहने वाले नन्दू उर्फ नरेन्द्र यादव से हुई, जो पहले से ही चायनीज के संपर्क में था, जो उनको पैसा लेकर इण्डियन एकाउन्ट उपलब्ध कराता था। अभियुक्त छीन्जों थारचिंन, नेपाल एवं श्रीलंका में बैठे चायनीज के संपर्क में आ गया और भारतीय व्यक्तियों के एंव फर्मो के बैंक खाते क्रय करके अपने परिचित विदेशी नागरिकों को उपलब्ध कराने लगा जिसका प्रयोग वे लोग साईबर क्राईम में कर रहे थे। अभियुक्त छीन्जों थारचिंन ने वर्ष– 2023 में चन्द्रा ठाकुर के नाम से बना पासपोर्ट खत्म होने पर वर्ष 2024 में दिल्ली के पते पर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पुनः पासपोर्ट प्राप्त कर लिया गया। पूछताछ में लगभग 26 भारतीय बैंक अकाउन्ट प्रकाश में आये हैं जिनके सम्बन्ध में गहन छानबीन की जा रही है।

<u>अभियुक्त छीन्जों थारचिंन, उपरोक्त के विरूद्व निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है</u>–

1– मु0अ0सं0 410/21 धारा 420/406/120बी भादवि थाना जीटीवी एन्क्लेव दिल्ली ।

2– मु0अ0सं0 505/24 धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 304(2) बी0एन0एस0 एंव 12(1ए) पासपोर्ट अधिनियम थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

गिरफ्तार अभियुक्त छीन्जों थारचिंन उर्फ Chanjan @ Chandra Thakur @ Tanzin को थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर में दाखिल किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

––